न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 510 सन 2022

अनवान :-

1. इन्दराम पुत्र स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
2. रामजस पुत्र स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
3. धर्मेन्द्र पुत्र स्व रामप्रताप जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
4. राजेश कुमार पुत्र स्व रामप्रताप जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
5. रामी पत्नी स्व रामप्रताप जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
6. रोशनी पत्नी मोहनलाल जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
7. धोलु पुत्र मोहनलाल जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
8. सन्तोष पुत्री मोहनलाल जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
9. मोहनी पुत्री मोहनलाल जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
10. सरोज पुत्री मोहनलाल जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
11. काली पुत्री मोहनलाल जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
12. धापी पुत्री मोहनलाल जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
13. रोहिताश पुत्र स्व मालाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
14. महेन्द्र पुत्र स्व मालाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
15. सन्तरो पत्नी जीतराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
16. शौकिन पुत्र जीताराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
17. भावना पुत्री जीताराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
18. गुडडी देवी पत्नी पृथ्वी जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
19. अंकित पुत्र स्व सुभाष जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
20. आरजु पुत्री स्व सुभाष जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
21. पारूल पुत्री स्व सुभाष जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
22. पूनम पत्नी स्व सुभाष जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
23. सरस्वती पुत्री स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
24. कमो पुत्री स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
25. गोमती पुत्री स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
26. पाना पुत्री स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 13/07/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 721/695 की कुल 12.1410हैव व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 207/200 की कुल 11.6250हैव भूमि दिनाराम पुत्र खुमाना एव दिनाराम की पुत्र/पुत्रीयो के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दिनाराम पुत्र खमानाराम एव दिनाराम की पुत्र/पुत्रीया के नाम से दर्ज है वादी के पूर्वज दिनाराम एवं पुत्र रामप्रताप , पृथ्वी , माला का देहान्त हो चुका है दिनाराम व उनके पुत्र रामप्रताप पृथ्वी माला के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 है जो दिनाराम रामप्रताप पृथ्वी, माला के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 ,17 ,20 ता 26 वादी की बहने/बुआ है एवं दिनाराम ,रामप्रताप पृथ्वी माला की पुत्री/पौत्री है प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 ,17 ,20 ता 26 ने अपने

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,13 ता 16 ,18 ,19 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,13 ता 16 ,18 ,19 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 को कई मर्तबा कहा की पूवजों के नाम से दर्ज भूमि में से वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की दिनाराम , रामप्रताप ,पृथ्वी माला है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,13 ता 16 ,18 ,19 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उनके पूर्वज दिनाराम , रामप्रताप , पृथ्वी , माला एव दिनाराम के पुत्र/पुत्रीया के नाम से दर्ज है दिनाराम रामप्रताप पृथ्वी माला का देहान्त हो चुका है इसप्रकार दिनांराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 है जो वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 ,17 ,20 ता 26 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र/भतीजो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,13 ता 16 ,18 ,19 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,13 ता 16 ,18 ,19 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 721/695 की कुल 12.1410हैक्ट व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 207/200 की कुल 11.6250हैक्ट भूमि दिनाराम पुत्र खुमाना एव दिनाराम की पुत्र/पुत्रीयो के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दिनाराम पुत्र खमानाराम एव दिनाराम की पुत्र/पुत्रीया के नाम से दर्ज है वादी के पूर्वज दिनाराम एवं पुत्र रामप्रताप , पृथ्वी , माला का देहान्त हो चुका है दिनाराम व उनके पुत्र रामप्रताप पृथ्वी माला के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 है जो दिनाराम रामप्रताप पृथ्वी, माला के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 ,17 ,20 ता 26 वादी की बहने/बुआ है एवं दिनाराम ,रामप्रताप पृथ्वी माला की पुत्री/पौत्री है प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 ,17 ,20 ता 26 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,13 ता 16 ,18 ,19 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,13 ता 16 ,18 ,19 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के समर्थन में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज

उपखण्ड अधिकारी (प्रथम)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 721/695 की कुल 12.1410हैक्ट व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 207/200 की कुल 11.6250हैक्ट भूमि दिनाराम पुत्र खुमाना एव दिनाराम की पुत्र/पुत्रीयो के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उनके पूर्वज दिनाराम, रामप्रताप, पृथ्वी, माला एव दिनाराम के पुत्र/पुत्रीया के नाम से दर्ज है दिनाराम रामप्रताप पृथ्वी माला का देहान्त हो चुका है इसप्रकार दिनांराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 8 ता 12, 17 ,20 ता 26 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 8 ता 12, 17 ,20 ता 26 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,13 ता 16 ,18 ,19 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 12, 17 ,20 ता 26ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 26 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 721/695 की कुल 12.1410हैक्ट व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 207/200 की कुल 11.6250हैक्ट भूमि में से मृतक दीना, व सुन्दर ,प्रताप, मोहनलाल, पृथ्वी पूनम भावना कमो गोमती पान्ना सरस्वती का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 3/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 बहिब 1/7 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 ,7 बहिब 1/7 हिस्सा ,प्रतिवादी संख्या 13 अकेला 1/21 हिससा प्रतिवादी संख्या 14 अकेला 1/21 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 15 ,16 बहिब 1/21 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 18, 19 बहिब 1/7 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. इन्दराम पुत्र स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 महावीर प्रसाद पुत्र स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
2. रामजस पुत्र स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
3. धर्मेन्द्र पुत्र स्व रामप्रताप जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
4. राजेश कुमार पुत्र स्व रामप्रताप जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
5. रामी पत्नी स्व रामप्रताप जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
6. रोशनी पत्नी मोहनलाल जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
7. धोलु पुत्र मोहनलाल जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
8. सन्तोष पुत्री मोहनलाल जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
9. मोहनी पुत्री मोहनलाल जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
10. सरोज पुत्री मोहनलाल जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
11. काली पुत्री मोहनलाल जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
12. धापी पुत्री मोहनलाल जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
13. रोहिताश पुत्र स्व मालाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
14. महेन्द्र पुत्र स्व मालाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
15. सन्तरो पत्नी जीतराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
16. शौकिन पुत्र जीताराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
17. भावना पुत्री जीताराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
18. गुड्डी देवी पत्नी पृथ्वी जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
19. अंकित पुत्र स्व सुभाष जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
20. आरजु पुत्री स्व सुभाष जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
21. पारूल पुत्री स्व सुभाष जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
22. पूनम पत्नी स्व सुभाष जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
23. सरस्वती पुत्री स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
24. कमो पुत्री स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
25. गोमती पुत्री स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
26. पाना पुत्री स्व दिनाराम जाति बाल्मिकी निवासी ननाउ तहसील नोहर।
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 510 सन 2022 निर्णय दिनांक– 13/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 721/695 की कुल 12.1410हैक्‍ व रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 207/200 की कुल 11.6250हैक्‍ भूमि में से मृतक दीना , व सुन्दर ,प्रताप , मोहनलाल , पृथ्वी पूनम भावना कमो गोमती पान्ना सरस्वती का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 3/7 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 बहिब 1/7 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 ,7 बहिब 1/7 हिस्सा ,प्रतिवादी संख्या 13 अकेला 1/21 हिससा प्रतिवादी संख्या 14 अकेला 1/21 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 15 ,16 वहिब 1/21 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 18 , 19 बहिब 1/7 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner